

|                                     |                                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| करी की<br>म संख्या<br>और तारीख<br>1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई<br>कार्रवाई के बारे में<br>टिप्पणी तारीख के<br>साथ ।<br>3 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|

12/11/13

न्यायालय, अपर समाहर्ता, दरभंगा ।  
दाखिल-खारिज रिविजन वाद संख्या-10/12-13  
प्रभाकर कुमार चौबे -----अपीलकर्ता

बनाम  
दिलीप चौधरी एवं अन्य-----विपक्षी  
आदेश

प्रभाकर कुमार चौबे, पिता-स्व० देवेन्द्र नारायण चतुर्वेदी, मु०-कोतवाली चौक, थाना-टाउन, जिला-दरभंगा ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-01/11-12 में दिनांक 04.02.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया है। जिसमें डा० दिलीप चौधरी, पिता-उमेश चौधरी, मु०-अल्लपट्टी, थाना-लेहरियासराय, जिला-दरभंगा को विपक्षी प्रथम, मीना चौधरी, पति-शिवचन्द्र चौधरी, मु०-कोतवाली चौक, मिश्रटोला, थाना-टाउन, जिला-दरभंगा को विपक्षी द्वितीय तथा बट्टी नारायण राय उर्फ श्यामजी, पिता-श्री बलीचन्द्र राय, मु०-हनुमानगंज, मिश्रटोला, जिला-दरभंगा को विपक्षी तृतीय बनाया गया है ।

इस वाद से संबंधित भूमि का व्यौरा निम्न प्रकार है:-

|           |      |                  |             |
|-----------|------|------------------|-------------|
| मुहल्ला   | खाता | म्युनिसिपल खेसरा | रकवा        |
|           |      |                  | वि०-क०-घु०  |
| कोतवाली   | 551  | 19375 पु०        | 0-1-0       |
| मिश्रटोला |      | 727 नया          | (एक कट्टा ) |

विपक्षी को विधिवत सूचना निर्गत किया गया ।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि उचित मूल्य देकर विपक्षी सं०-2 एवं 3 से खरीद किया। खरीदने के पश्चात भूमि पर दखलकार हैं । तत्कालीन अपर समाहर्ता, दरभंगा के आदेश से अंचलाधिकारी, सदर, दरभंगा ने विधिवत दाखिल-खारिज वाद सं०-26694/10-11 से 2675/10-11 प्रारम्भ कर शिविर में जमाबन्दी कायम करने का आदेश दिया। आदेश के आलोक में जमाबन्दी नं०-792 अपीलकर्ता के नाम से कायम हुआ । वर्ष 2011-2012 तक का लगान भी दे चुके हैं।

उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर मकान बना हुआ है, तथा मकान में बिजली कनेक्शन भी अपीलकर्ता के नाम से है ।

उनका कहना है विपक्षी प्रथम को सभी बातों की जानकारी होने के बाद भी विपक्षी प्रथम ने भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ अपील तीन माह पश्चात दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-01/11-12 दायर किया। समय को भी क्षात नहीं किया गया और दिनांक 04.02.2012 को आदेश भी पारित कर दिया गया।

उनका कहना है कि विपक्षी प्रथम ने एक हकियत वाद सं०-302/2010 माननीय सब जज, दरभंगा के न्यायालय में अपनी माँ किशोरी चौधरी के द्वारा विक्रय पत्र (Sale deed) को रद्द कराने हेतु दायर करवाया। इनके द्वारा Injunction Petition भी दायर किया गया। माननीय सब जज ने सुनवाई के पश्चात Injunction Petition को दिनांक 19.01.2012 को खारिज कर दिया गया ।

उनका कहना है कि अपीलकर्ता के आपत्ति आवेदन को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया ।

उपरोक्त के आलोक में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक 04.02.2013 को पारित आदेश न्याय संगत नहीं है जिसे खारिज किया जाय तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय ।

विपक्षी प्रथम के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी प्रथम की पैतृक जमीन है। यह जमीन उनके पूर्वज रामेश्वर चौधरी एवं भोला चौधरी की खरीदगी जमीन थी जो विपक्षी प्रथम के पिता उमेश चौधरी के हिस्से में आई ।

उनका कहना है कि विपक्षी द्वितीय मीना चौधरी के पास प्रश्नगत जमीन का मोख्तार नामा लिखने या प्रश्नगत जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं है तथा इनके या इनके प्रतिनिधि बट्टी नारायण राय द्वारा लिखा गया केवाला गलत है। जिसके विरुद्ध विपक्षी प्रथम की माँ (किशोरी चौधरी) द्वारा व्यवहार न्यायालय, दरभंगा में वाद सं०-302/10 दायर

किया है जो विचाराधीन है।

उपरोक्त के आलोक में विपक्षी प्रथम के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक 04.02.2013 को पारित आदेश न्याय संगत है जिसे बरकरार रखा जाय तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

विपक्षी द्वितीय एवं विपक्षी तृतीय के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व विपक्षी द्वितीय को प्राप्त है, इसलिए उनके अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा भूमि का बिक्री किया गया।

सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया :-

( 1 ) अपीलकर्ता ने प्रश्नगत भूमि उचित जरसीमन देकर विपक्षी द्वितीय एवं तृतीय से खरीद किया। जिसका दस्तावेज सं०-16724 दिनांक 20.11.2010 है।

( 2 ) प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्ता का कब्जा है जमाबन्दी नं०-792 अपीलार्थी के नाम से चल रही है वे वर्ष 2011-12 तक लगान भी दे चुके हैं। जिसका दाखिल-खारिज वाद सं०-2669/2010-11 से 2675/2010-11 है।

( 3 ) विपक्षी प्रथम की माँ (किशोरी चौधरी) हकियत वाद सं०-302/10 माननीय सब जज, दरभंगा के न्यायालय में दायर किया है। इनकी ओर से Injunction Petition माननीय सब जज के न्यायालय में दायर किया गया जो दिनांक 19.01.2012 को खारिज हो गया।

( 4 ) दाखिल-खारिज वाद सं०-2669/10-11 से 2675/10-11 के अवलोकन से पता चलता है कि तत्कालीन अपर समाहर्ता, दरभंगा के आदेश से राजस्व शिविर में अपीलार्थी के नाम से जमाबन्दी नं०-792 दिनांक 02.02.2011 को कायम किया गया।

( 5 ) यह कि विपक्षी दिलीप चौधरी द्वारा दिनांक 02.02.2011 के आदेश के खिलाफ भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा के न्यायालय में अपील दिनांक 08.04.2011 को दायर किया जो अपील दायर करने की निर्धारित सीमा के बाद दायर किया गया है तथा विलंब को क्षांत करने का कोई आवेदन भी नहीं है न ही विलंब को क्षांत किया गया है।

( 6 ) निम्न न्यायालय के अभिलेख को देखने से यह पता चलता है कि अपील आवेदन को दिनांक 08.04.2011 को एडमिट किया गया है, लेकिन आदेश पत्रक दिनांक 07.05.2011 से शुरू होती है तथा दिनांक 07.05.2011 को भी अपील आवेदन को प्राधिकृत किया गया है तथा आवेदन को स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा इस बात को नजर अंदाज किया गया है कि दाखिल-खारिज वाद सं०-2669/10-11 से 2675/2010-11 राजस्व शिविर में नियमानुसार की गई है तथा दाखिल-खारिज करने से पूर्व अपर समाहर्ता से शिविर में आवश्यक आदेश ले ली गई थी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के दिन में भी आवेदन एवं आदेश पत्रक में अलग-अलग तिथि दर्शाई गई है तथा विलंब क्षांत करने के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा आवेदक प्रभाकर कुमार चौबे का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा को भी नजर अंदाज किया गया है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2012 को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा के आदेश दिनांक 04.02.2012 को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा एवं अंचलाधिकारी, सदर, दरभंगा को भेजें।

लेखापित सह संशोधित

12.7.13  
अपर समाहर्ता,  
दरभंगा।

12.7.13  
अपर समाहर्ता,  
दरभंगा।

दरभंगा।